पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को दौसा की सिकराय विधानसभा क्षेत्र में होने वाली प्रियंका गांधी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुये कहा, कौन क्या कहता है, मेरे बारे में इन सब बातों को भूल जाओ, हम सब एकजुट होकर सरकार बनायेंगे, इस बार राजस्थान में रिवाज़ बदलने वाला है, एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। पायलट ने सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं से लम्बी बातचीत की और उन्हें सभा की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिये।

देवेगौड़ा ने इब्राहिम को हटाकर अपने बेटे को पार्टी प्रमुख बनाया

उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन को बचाने के लिए यह कदम उठाया है

- पूर्व पार्टी प्रमुख इब्राहिम ने भाजपा के साथ गठबंधन के देवेगौड़ा के फैसले को अस्वीकार कर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी।
- गौरतलब है कि, पहले विधानसभा चुनावों में करारी हार और अब कांग्रेस के ऑपरेशन ''हस्त'' की वजह से जद (एस) अस्तित्व के संकट से जूझ रही है।

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भाजपा नेता कांग्रेस तथा अन्य विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों पर वंशवाद का आरोप लगाते नहीं थकते लेकिन यह विडंबना ही है कि कर्नाटक में भाजपा की नवीनतम सहयोगी पार्टी जनता दल (सेक्यूलर) ने वंशवाद का जोरदार बिगुल बजाया है।

जे.डी. (एस) के अध्यक्ष सी.एम. इब्राहिम ने विद्रोह करते हुए धमकी दी थी कि वे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन समाप्त कर देंगे। इसके बाद पार्टी के वयोवृद्ध संस्थापक एच.डी. देवगौड़ा ने इब्राहिम को अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया और अपने पुत्र तथा पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को पार्टी का नियुक्त कर दिया ताकि दोनों पार्टियों का गठबंधन बचाया जा सके। जबसे अल्पसंख्यकों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ तो जद (एस) का कर्नाटक वर्चस्व कम हुआ है इसलिए पार्टी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा से गठबंधन किया।

दोनों पार्टियों का तर्क है कि वोटों की गणित कांग्रेस को हरा देगी जो भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई है और लोकसभा चुनाव के पहले राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसके अलावा कांग्रेस ऑपरेशन हस्त भी चला रही थी जिसके अंतर्गत इन दोनों पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर राज्य में पार्टी का आधार मजबूत किया जा रहा था। कांग्रेस का निशाना स्पष्ट रुप से लोकसभा चुनाव हैं। भाजपा ने 2019 में दो को छोड़कर राज्य की सारी सीटें जीत ली थीं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विश्लेषकों का अनुमान है कि वह लोकसभा सीटों में सेंध लगाएगी और वह 10 के करीब सीटें जीत सकती है।

भाजपा और जद (एस) दोनों ही इसे रोकना चाहेंगे इसलिए दोनों साथ आकर अपने वोट शामिल कर कांग्रेस को बाहर करना चाहेंगी।

यह कहने में आसान लगता है। लेकिन है मुश्किल क्योंकि राज्य में दोनों विपक्षी पार्टियों के नेताओं में कांग्रेस का प्रभाव है और वे कांग्रेस का समर्थन करने की सोच रहे हैं।

गुरुवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कर्नाटक जे.डी. (एस) अध्यक्ष सी.एम. इब्राहिम को पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवगौड़ा ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कुमारस्वामी को आज जल्दी में बुलाई 20 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक में तदर्थ अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

इब्राहिम को बर्खास्त करने का निर्णय उनके द्वारा यह घोषणा करने के एक दिन बाद लिया गया कि वे राज्य में अल्पसंख्यक नेताओं से मशविरा किए बिना भाजपा के साथ किया गया गठबंधन निरस्त कर देंगे। उनका मानना था कि देवगौड़ा भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इब्राहिम ने 16 अक्टूबर को अपनी पार्टी में समान विचार वाले नेताओं से मिलना -जुलना आरंभ किया और दावा किया कि वे ही अधिकृत पार्टी हैं और उन्होंने एक कोर कमेटी बनाई है जो भाजपा से संबंध विच्छेद को औपचारिक रुप देगी। मगर उनके सोच और कदम को ध्वस्त करते हुए देवगौड़ा ने इब्राहिम को हटाने के निर्णय में सक्रिय भूमिका निभाई। इब्राहिम 1996 से 1998 तक देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकारों में सूचना एवं प्रसारण नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री रहे।

आखिर क्या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगा रहे है जबकि वे जानते हैं कि गांधी परिवार ने उनसे मुंह फेर लिया है, पर अभी भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो उनसे आर्थिक फायदा पाते हैं, वे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

शुक्रवार को गहलोत प्रियंका गांधी को अपने विशेष विमान से जयपुर ला रहे हैं, प्रियंका राजस्थान में कई सभाएं करेंगी। इस दौरान वे पूरी कोशिश करेंगे कि प्रियंका उनके पक्ष में आ जाए और उनकी सुने। जो शायद एक और हारी हुई लड़ाई साबित होगा।

केंद्रीय चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश व केंद्र के नेता मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में दूसरी लिस्ट को मंजूरी दी जाएगी।

माना जा रहा है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट में 70 से 80 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते है।

गलता पीठ महंत की नियुक्ति के मामले की सुनवाई 6 तारीख तक टली

- देवस्थान विभाग ने गलतापीठ ट्रस्ट के संबंध में उपलब्ध पूरा रिकॉर्ड अदालत को सौंपा।
- इस रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ता अवधेशाचार्य के वकील और देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि की सहायता मांगी है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 19 अक्टूबर । राजस्थान हाई कोर्ट में गलतापीठ के महंत के नियुक्ति के मामले पर सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान अदालत में देवस्थान विभाग ने गलतापीठ मंदिर के ट्रस्ट के संबंध में उपलब्ध पूरे रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष पेश कर दिया। न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि वह इस रिकॉर्ड का अध्ययन करेंगे जिसके लिए याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील और देवस्थान विभाग की ओर से एक प्रतिनिधि उनकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 6 नवम्बर तय की है। और इसे 2 बजे बाद सुना जाएगा।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता देवस्थान विभाग के वर्तमान महंत अवधेशाचार्य और उनके परिवार जन है। उन्होंने देवस्थान विभाग के आयुक्त द्वारा वर्ष 2016 में दिए गए फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत उन्होंने गलतापीठ के महंत व कार्यकारी ट्रस्टी के पद को रिक्त पाया और कहा कि इस संबंध में जांच कर के नियुक्ति की जानी चाहिए।

आयुक्त के आदेश में विवादित तौर पर यह भी कहा गया कि गलतापीठ की संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति है और महंत केवल मंदिर के ''मैनेजर'' है। देवस्थान विभाग का यह भी कहना था कि उक्त संपत्ति की देख रेख सही से नहीं की जा रही थी।

गत सुनवाई के दौरान अदालत ने देवस्थान विभाग से पूरा रिकॉर्ड लेने हेतु कहा कि क्या देवस्थान विभाग के पास गलतापीठ के ट्रस्ट में आने वाली संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड है क्या देवस्थान विभाग इस पर नजर रखता है कि किसी संपत्ति को बेचा गया है या नहीं उन्होंने यह भी पूछा की क्या देवस्थान विभाग मंदिर में आए चढावे व प्रसाद का ब्यौरा रखता है कि नहीं या उसका ऑडिट करता है कि नहीं जिस पर देवस्थान विभाग की ओर से कहा गया कि उनके पास गलतापीठ ट्रस्ट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए उन्होने कभी भी ट्रस्ट की संपत्ति का औचक निरीक्षण नहीं किया। अदालत ने कहा कि, गलता ट्रस्ट के बारे में इतनी कम जानकारी उपलब्ध होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि देवस्थान विभाग अपना कोई भी कार्य नहीं करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है।

47 पूर्व जज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साधना एस जाधव, विनय देशपांडे, सत्यरंजन सी. धर्माधिकारी, तानाजी विश्वास नलवाडे और अभय महादेव थिप्से।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, गुरमीत राम,, अशोक कुमार वर्मा, तेजिंदर सिह ढींढसा, महिंदर सिंह भुल्लर और जयश्री ठाकुर को भी वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकित किया गया।

हैदराबाद में इज़राइल का विरोध

हैदरबाद, 19 अक्टूबर। गुरुवार को तेलंगाना में भी फिलिस्तीन के लिए समर्थन देखने को मिला। इजरायल-हमास युद्ध के बीच हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में महिलाएं फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दरगाह मैदान में एकत्र हुईं। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। एंट्री गेट के जमीन पर

- हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में महिलाएं फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दरगाह मैदान में एकत्र हुईं।

इजरायल और अमेरिका के झंडे रखे हुए थे, जिनको महिलाओं ने पैरों से रौंदते हुए विरोध जताया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मुस्लिम महिलाएं और बच्चे इजरायल और अमेरिका के झंडों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं। हालांकि, कुछ झंडे के बगल से भी जाते दिखाई दिए।

'गाज़ा में फंसे भारतीयों की निकासी मुश्किल टास्क है'

- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि, गाज़ा के हालात बहुत खराब हैं, और वहां से भारतीयों को निकालने का प्रयास करना भी बहुत जोखिमभरा काम है

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी पर इज़राइल की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में गाजा से भारतीय नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा में चार भारतीय हैं और फिलहाल जैसी स्थिति है उसमें उन्हें निकलना ठीक नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि जब भी मौका मिलेगा उन्हें वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ''गाजा में जो स्थिति उसमें किसी को निकालना कठिन है लेकिन अगर हमें मौका मिला तो हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे।''

अरिंदम बागची ने गाजा के अस्पताल पर हुए भीषण हमले में मारे गए 500 से अधिक लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ने नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है।'' उन्होंने कहा, ''फिलिस्तीन मुद्दे पर, हमने अपनी बात दोहराई है। हम दोनों देशों के आपसी समाधान का समर्थन करते हैं।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एक साथ आने का भी आग्रह किया।

हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी के लिए खाद्यान्न, ईंधन और जल आपूर्ति रोक दी थी। इजरायल में हमास के हमले में 1,400 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इज़राइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में लगभग 3500 लोगों की मौत की खबर है।

'हमास ने मानवता की हत्या की है, हिंसा का यह चक्र खत्म होना चाहिये'

- राहुल गांधी ने पहली बार फिलिस्तीन-इज़राइल विवाद पर टिप्पणी की और हमास को दोषी ठहराया।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पहली बार इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर आधिकारिक बयान जारी किया। हिंसा की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी, बिजली में कटौती मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने कहा, ''हमास द्वारा निर्दोष इज़राइलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ''गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजराइलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए।'' यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस फिलिस्तीन को लंबे समय से समर्थन देने को लेकर विवाद में फंस गई है।

इससे पहले गुरुवार को एक बयान में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस के समर्थन को दोहराया और कहा कि एक संप्रभु राज्य में गरिमा, आत्म-सम्मान और समानता के जीवन के लिए फिलिस्तीनियों की आकांक्षाएं वैध हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गाजा में अस्पताल एवं रिहायशी इलाकों पर हमले की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को आव्हान किया कि पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष विराम हो और कूटनीतिक प्रयास आरंभ किए जाएं ताकि फलस्तीन की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं का समाधान भी सुनिश्चित हो सके।

खड़गे ने एक बयान में कहा, ''गाजा में अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी के कारण सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई।

पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक इंजैक्शन का ट्रायल सफल, आई.सी.एम.आर. ने कामयाबी हासिल की

यह इंजैक्शन 13 साल तक प्रभावी रहता है

- आई.सी.एम.आर. बीते 7 सालों से इस इंजैक्शन पर कड़ी मेहनत कर रहा था। ट्रायल का परिणाम सौ प्रतिशत सफल रहा, आई.सी.एम.आर. ने सात सालों तक 303 पुरुषों पर इस इंजैक्शन का ट्रायल किया है।
- खास बात यह है कि, इस इंजैक्शन का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफैक्ट नहीं है।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। पुरुषों के लिए गर्भनिरोध वाले इंजैक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इंडियन काउन्सिल ऑफ मैडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) इस इंजैक्शन को लेकर पिछले 7 साल से 303 स्वस्थ पुरुषों पर परीक्षण कर रहा था। अब जाकर आई.सी.एम.आर को इसमें सफलता मिली, इस इंजैक्शन का रिजल्ट सफल रहा है। अच्छी बात यह है कि एक बार अगर कोई पुरुष इस इंजैक्शन को लगा लेता है तो 13 साल तक गर्भनिरोध लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी वह पुरुष अगले 13 साल तक पिता नहीं बन सकेगा या महिला को प्रेग्नैंट नहीं कर सकेगा। इंजैक्शन के इस सफलता से महिलाओं को कई तरह की झंझटों से मुक्ति मिलेगी। अब तक महिलाओं के उपर ही अधिकांश मामलों में गर्भनिरोधक का जिम्मा रहता है। इन सारी झंझटों से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी।

दुनिया भर के वैज्ञानिक पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोलियां बनाने में लगे हुए हैं ताकि पार्टनर की प्रेग्नेंसी को रोका जा सके। हालांकि इसमें शत प्रतिशत सफलता अब तक नहीं मिली है। लेकिन आईसीएमआर द्वारा तैयार इंजेक्शन से शत प्रतिशत सफलता मिलने की गारंटी है। इस इंजेक्शन का नाम रिसयुग (आर.आई.एस.यू.जी.-रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म) जो नॉन-हार्मोनल इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीएमआर द्वारा तैयार पुरुषों के लिए यह गर्भनिरोध इंजेक्शन बेहद प्रभावकारी इंजेक्शन है। आईसीएमआर ने इसे सुरक्षित माना है। इस इंजेक्शन के ट्रायल में वैज्ञानिकों ने 7 साल तक 303 हेल्दी पुरुषों पर परीक्षण किया जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच थी। ये सभी पुरुष शादीशुदा थे और फिजिकली अपनी पत्नी के साथ एक्टिव थे। इन लोगों ने स्वेच्छा से गर्भनिरोधक का यह जरिया चुना था। इन लोगों को 60 एमजी वालाआर.आई.एस.यू.जी. का इंजैक्शन दिया गया।

आईसीएमआर के इस सफल ट्रायल का प्रकाशन इंटरनेशनल ओपन एक्सेस जर्नल एंड्रोलॉजी में हुआ है। यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी को रोकने में 99 प्रतिशत तक प्रभावी है। हालांकि ट्रायल के दौरान यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी रोकने में लगभग 99.02 प्रतिशत तक प्रभावी रहा। इंजेक्शन लेने वाले पुरुषों में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पुरुषों के अलावा महिलाओं पर भी साइड इफेक्ट का टेस्ट किया गया इसके लिए उन पुरुषों की पत्नियों का चेकअप किया गया जिन्हें ये इंजेक्शन लगाए गए थे। चेकअप में उन पुरुषों की पत्नियों पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। डॉक्टर एम वली और अरुण गुप्ता ने बताया इस इंजेक्शन को स्पर्म डक्ट में इंजेक्ट किया जाएगा। इसको लगाने से पहले व्यक्ति को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आर.आई.एस.यू.जी. को एक के बाद एक स्पर्म डक्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है।

न्यूज़क्लिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। पीठ ने शुरू में पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने कहा कि वे (पुरकायस्थ और चक्रवर्ती) जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बाद पीठ ने मामले को 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दशहरा अवकाश से पहले आखिरी कार्य दिवस शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर 2023 को याचिका खारिज करने के आदेश की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी।

'इंडिया गठबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीटों पर विचार करेंगे। जब उन्होने प्रत्याशियों की घोषणा की तो सपा के लिए कुछ भी नहीं था। अगर मुझे पता होता कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो हम मिलते ही नहीं। हम कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बारे में सोचेंगे। हम उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे हमारे साथ करेंगे।''

कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आठ घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने नौ उम्मीदवारों के नाम जारी किए जिनमें से पांच कांग्रेस के खिलाफ थे। कल शाम सपा ने 22 और प्रत्याशियों की घोषणा की, जिनमें से 13 कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने हैं।

मामला और बिगड़ता गया जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कुछ अवांछित टिपणियां की। उन्होंगे कहा कि सपा को मध्य प्रदेश में जमीनी समर्थन नहीं है और उसे वहां से चुनाव नही लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटो पर चुनाव लडने की तैयारी कर रही है।

इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगबबूला हो गए उन्होंने कहा, ''मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि उनके चिरकुट नेता सपा के बारे में ना बोले। ये कांग्रेस वाले भाजपा के साथ हैं। अगर मुझे पता होता कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो मैं सपा नेताओं को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता।''

कल कमलनाथ ने कहा था कि राज्य स्तरीय गठबंधन पर अभी सपा से बात चल रही है। उन्होंने कहा, ''इसमे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अगर सपा कहे भी कि वह अपने चुनाव चिन्ह पर हमारे उम्मीदवार खड़े करने बारे में तैयार है तो भी हमारे उम्मीदवार सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये जमीनी हकीकत है। दूसरी ओर पार्टी चुनाव में भाजपा को परास्त करने के लिए अखिलेश यादव के साथ तालमेल पर विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि भाजपा को हराने में सपा हमारी मदद करे।'' मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि उनका लक्ष्य भाजपा को हराना है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बताया।''

गहलोत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने जोर देकर कहा कि, पार्टी में अन्तर्कलह के कारण प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने में देरी होने की खबरों के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा अधिकतर बागियों के नाम क्लीयर हो गए हैं और उन्होंने एक की भी उम्मीदवारी पर आपत्ति नहीं जताई।

उन्होने कहा, सोनिया, राहुल और प्रियंका को उनमें इतना विश्वास है कि उन्हें (गहलोत को) तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है। यह पूछे जाने पर कि, चुनाव के बाद क्या वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में शिफ्ट होंगे, गहलोत ने कहा, जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो उन्हें स्वीकार्य होगा।

उनका घिसापिटा प्रतीकात्मक जवाब था कि, वो तो पद को छोड़ना चाहते है, लेकिन, पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि उनके विरूद्ध शासनविरोधी भावनाएं नहीं हैं।

'मैं विधायकों के खिलाफ ''एन्टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेतृत्व पर ''हॉर्स ट्रेडिंग'' का आरोप लगाया था जो कभी सिद्ध नहीं हुआ और राज्य सभा चुनाव के नतीजे जैसे अपेक्षित थे, वैसे ही आए। परन्तु गहलोत ने परोक्ष रूप से पायलट पर सरकार गिराने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं जब बेबुनियाद आरोपों से तंग आकर पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो गहलोत ने पायलट के खिलाफ अपनी भाषा को अभद्र और कठोर कर लिया और उनकी सरकार व उनके अनुयायी गुट के नेताओं ने पायलट गुट के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए।

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने कानून की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए, अपने ही मंत्रियों के ''फोन टैप'' कराए और विद्रोह कर रहे पायलट गुट के एक मंत्री के फोन टैप करके उस वार्तालाप के कुछ अंश को ''सोशल मीडिया'' पर लीक कराया गया। और कई स्थानीय बडे अखबारों में मीडिया सलाहकार के माध्यम से उसे छपवाया भी गया। उल्लेखनीय है कि गहलोत के इस मीडिया सलाहकार के खिलाफ आज भी मुकदमा चल रहा है। यह पूरा घटनाक्रम पायलट व उनके समर्थकों को बदनाम करने की मंशा से ही किया गया था क्योंकि अदालत में ना केवल इनके खिलाफ देशद्रोह के मामले खारिज कर दिए गए बल्कि सरकार गिराने के लिए तथा कथित रूप से दी गई करोड़ों रु. की राशि के सबूत भी कभी नहीं मिले। इसलिए पायलट गुट के खिलाफ (पी.एम.एल.ए.) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत मामले दर्ज नहीं हुए।

परन्तु पायलट के विद्रोह के दौरान भी कांग्रेस सरकार राजस्थान में अल्पमत में नहीं थी क्योंकि उनके पास 102 विधायकों का समर्थन था। सरकार पर पहली बार अल्पमत में आने का खतरा तभी मंडराया जब भाजपा नेता मदन दिलावर ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में मदन दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्होंने बसपा विधायकों को कांग्रेस में विलय होने की अनुमति दी थी। जबकि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पे दोनों पार्टीयों के बीच कोई समझौता नहीं था तब 6 बसपा विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए थे। परन्तु विधायकों को ना नोटिस पहुंचे और ना ही उन्होंने अपना जवाब दिया क्योंकि वह जैसलमेर के होटल में सरकार की सुरक्षा में सरकारी महमान थे। हैरानी की बात है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की खंडपीठ को विधायकों का जवाब या उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ''स्पेशल सर्विस'' से नोटिस जारी करने पडे और पुलिस की मदद से विधायकों तक नोटिस पहुंचाने के आदेश देने पडे। तब अटकले लगाई गई थी। कि अगर विधायकों का जवाब या उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई तो उन्हें गहलोत सरकार के ''फ्लोर टेस्ट'' में भाग लेने से रोक दिया जाएगा क्योंकि उनकी सदस्यता से जुडे मामले अदालत में लंबित थे।

इन तथ्यों से यह जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री गहलोत के साथ होटल में रह रहे विधायक पूरी दुनिया से कितने कटे हुए थे। उनका वकीलों और समर्थकों से फोन पर बात करना असंभव ही था, फिर गहलोत किस दावे से कह सकते है कि कार्यकर्ताओं ने विधायकों को फोन कर के कहा था कि वह होटलों में बने रहे। वहीं जब 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में विधायकों के एक गुट ने आलाकमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तब भी मीडिया के एक सैक्शन ने गहलोत को विद्रोह का ''आर्किटैक्ट'' ना बताकर, गांधीवादी और पीड़ित दिखाया। मीडिया में ऐसे आंकड़े उछाले जा रहे थे कि गहलोत के समर्थन में 92 विधायक है जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे हैं ताकि गहलोत को हाई कमान एक तरफा फैसला लेकर सी.एम. पद से ना हटाए। हैरानी की बात है हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह संख्या 92 नहीं 81 है जबकि उन्होंने अदालत में एक भी विधायक का इस्तिफा या इस्तीफा के वापस लेने के लिए दिए गए पत्र को अदालत में पेश नहीं किया। इससे साफ नजर आता है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाई कोर्ट में दिया गया जवाब राजनीतिक षडयंत्र पर पर्दा डालने की नीयत से दिया गया था और बाद में सोचा गया एक कदम था।

गहलोत के अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ दिए गए बयान, उनके न्यायपालिकाओं के लिए दिए बयान जैसे ही होते हैं, जिनसे मीडिया में हल्ला तो खूब होता है लेकिन उनके पास अपने बयान को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908